राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो

पत्रांक :......................   दिनांक :......................

छात्रावास संबंधी नियम/परिनियम

1) छात्रावास में अनुशासन एवं सफाई बनाए रखना प्रत्येक छात्रा की नैतिक जिम्मेवारी है।
2) कूड़ा-कचड़ा इत्यादि इधर-उधर न फेंके। इसके लिए उपलब्ध कूड़ेदान (Dust Bean) का प्रयोग करें।
3) छात्रावास का ग्रिल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अतः शाम 6 बजे से पहले छात्रावास में अवश्य चले जाऐं।
4) प्रतिदिन शाम के Attendance (Roll Call) में सभी अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें।
5) आवश्यक कार्य हेतु संबंधित कर्मचारी से ही संपर्क करें। अनावश्यक किसी अनाधिकृत व्यक्ति से बात-चीत न करें।
6) संस्थान परिसर में 'नाईटी' अथवा 'स्कर्ट' जैसी पोशाक में न घूमें।
7) मेस चार्ज एवं सुरक्षा संबंधी शुल्क प्रत्येक माह के 10 तारीख तक अवश्य जमा कर दें।
8) किसी भी परिस्थिति स्थानीय अभिभावक के घर रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं होगी इसके लिए अभिभावक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9) स्थानीय क्रय हेतु माह में एक बार बाहर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए छात्रावास परिचारिका को साथ ले जाऐं।
10) छात्रावास में कीमती सामान यथा 'मोबाईल, जेवरात' इत्यादि रखना सर्वथा वर्जित है।
11) वैसी छात्राऐं जिन्हें कोई लंबी बीमारी हो, अथवा नियमित डॉक्टरी परीक्षण की आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें इसकी जिम्मेवारी स्वयं लेनी होगी। संस्थान एवं छात्रावास प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
12) अभिभावक से मिलने का समय : बुधवार शाम 4 बजे से शाम 5 बजे एवं रविवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है।

उपरोक्त नियमों एवं अनुशासन का पालन नहीं करने पर तीन चेतावनी के बाद छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा। इस संबंध में छात्रावास अधीक्षिका का निर्णय अंतिम होगा।

छात्रावास अधीक्षिका
राजकीय महिला पोलिटेकनिक
बोकारो

प्रभारी प्राचार्य
राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
बोकारो ।